न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : उज्ज्वल राठौड़ आई0ए0एस0

GCMS No.2020/ 00122 (Bank Case)

Manual no.- 35/2020

बैंक ऑफ बडौदा, अंचल दबाव ग्रस्त आस्ति वसूली शाखा (जेडओएसएआरबी) नेहरू प्लेस, टोंक रोड जयपुर (जयपुर)

– प्रार्थी

बनाम

मैसर्स आर.एस. एन्टरप्राईजेज

(अ) प्लॉट नं. 14–सी, नर्सरी योजना, तलवण्डी, कोटा (राज.)–324005

(ब) रायला माईन्स, खदाब क्शेर, नेशनल हाईवे नं. 8, दिल्ली–कोटपुतली राजमार्ग, कोटपुतली जयपुर (राज.)–303108

(स) ग्राम–लक्ष्मीपुरा, केलवाडा, जिला बारां (राज.)–325205

(द) 180, आदित्य आवास, बजरंग नगर कोटा (राज.)–324005

गारन्टर

1. श्री संदीप सिंह पुत्र श्री अजीत सिंह (गारन्टर एवं भागीदार)
   (अ) सी–10, कृष्णा नगर, रोड नं. 1, बजरंग नगर, पुलिस लाईन कोटा (राज.)–324001
   (ब) 180, आदित्य आवास बजरंग नगर, कोटा (राज.)–324005
   (स) ग्राम–लक्ष्मीपुरा, केलवाडा, जिला बारां (राज.)–325205
2. श्रीमति रमनजीव कौर पत्नि श्री संदीप सिंह (गारन्टर एवं भागीदार)
   (अ) सी–10, कृष्णा नगर, रोड नं. 1, बजरंग नगर, पुलिस लाईन कोटा (राज.)–324001
   (ब) 180, आदित्य आवास बजरंग नगर, कोटा (राज.)–324005
   (स) ग्राम–लक्ष्मीपुरा, केलवाडा, जिला बारां (राज.)–325205
3. श्री अजीत सिंह पुत्र श्री गुरूदेव सिंह (गारन्टर)
   (अ) ग्राम–लक्ष्मीपुरा, केलवाडा, जिला बारां (राज.)–325205
   (ब) प्लॉट नं. 14–सी, नर्सरी योजना, तलवण्डी, कोटा (राज.)–324005
   (स) प्लॉट नं. 101–सी, तलवण्डी, कोटा (राज.)–324005
   (द) प्लॉट नं. 191–सी, तलवण्डी, कोटा (राज.)–324005
4. श्री रघुवीर सिंह पुत्र श्री गुरूदेव सिंह (गारन्टर)
   ग्राम लक्ष्मीपुरा केलवाडा जिला बारां (राज.)–325205

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002

उपस्थितः–

श्री आर.पी. सिंह, अभिभाषक प्रार्थी

जिला मजिस्ट्रेट
कोटा (राज.)

Scanned by CamScanner

आदेश

दिनांकः 25 .08.2020

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि बैंक ऑफ बडौदा, अंचल दबाव ग्रस्त आस्ति वसूली शाखा (जेडओएसएआरबी) नेहरू प्लेस, टोंक रोड जयपुर, राजस्थान में स्थित व कार्यरत हैं से अप्रार्थीगण ने दिनांक 18.10.2011 को टर्म ऋण खाते में रूपये 240 लाख (अक्षरेः रूपये दौ सौ चालिस लाख मात्र) एवं ओवर ड्राफ्ट ऋण खाते में रू. 20 लाख, इस प्रकार दौनों खातों में कुल 260 लाख (अक्षरेः रूपये दौ सौ साठ लाख मात्र) का ऋण लिया था । अप्रार्थीगण ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप मे **अचल सम्पत्ति श्री अजीत सिंह पुत्र श्री गुरूदेव सिंह की प्लॉट नं0 14 नर्सरी योजना, तलवण्डी, कोटा (राज.) के नाम स्थित बैंक रेकार्ड अनुसार क्षैत्रफल 6600.50 वर्गफीट जिसका पट्टा नगर विकास न्यास कोटा द्वारा 18.11.2002 को जारी किया गया है** को प्रार्थी बैंक के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थीगण ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिक्रम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण के खाते को दिनांक 31.07.2012 को एन.पी.ए. कर दिया गया। अप्रार्थीगण के खातों में टर्म ऋण खाता नं. 01450600001080 में रू. 2,58,99,591/–(अक्षरेः रूपये दौ करोड़, अठ्ठावन लाख, नन्यानवें हजार, पांच सौ इकरानवें मात्र) ओवर ड्राफ्ट खाता सं. 01450400000338 में 21,75,839/– (अक्षरेः इक्कीस लाख, पिच्चहत्तर हजार, आठ सौ, उन्तालिस मात्र) कुल रूपये 2,80,75,430/– (अक्षरेः दौ करोड़, अस्सी लाख, पिच्चहत्तर हजार, चार सौ तीस मात्र) एवं उपार्जित ब्याज रू0 1,55,573/– को शामिल करते हुए कुल 2,82,31,003/– (अक्षरेः दौ करोड़ बयांसी लाख, इक्कतीस अहजार, तीन रूपये मात्र) बकाया रकम दिनांक 31.07.2012 तक शेष देय है व आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्चे पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थीगण जिम्मेदार है । प्रार्थी बैंक ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 13.08.2012 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये गये, इसके बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है । ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी बैंक को नही संभलाया है । प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते मे देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया ।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया । अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थीगणों ने उसके खाते मे देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ने दिनांक 13.08.2012 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये गये, इसके बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है । अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी बैंक द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अर्न्तगत दिनांक 13.08.2012 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये गये, इसके पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी/बंधककर्ता **अचल सम्पत्ति श्री अजीत सिंह पुत्र श्री गुरूदेव सिंह की प्लॉट नं0 14**

जिला मजिस्ट्रेट
कोटा (राज०)

Scanned by CamScanner